



पत्रांक/Ref.

दिनांक/Date. २२ अगस्त, 2026

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में अध्यापन कार्य के लिए अतिथि अध्यापक की स्वीकृति हेतु वाक इन इण्टरव्यू (Walk in Interview) पंत प्रशासनिक भवन स्थित राधा कृष्णन समिति कक्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आहूत है :-

क्र०	विषय/पाठ्यक्रम का नाम	अतिथि अध्यापक की आवश्यकता	साक्षात्कार तिथि	साक्षात्कार समय	स्थान
1.	भौतिक विज्ञान	01	01.09.2026	पूर्वाह्न 11:00 बजे	राधाकृष्णन समिति कक्ष
2.	वनस्पति विज्ञान	01	01.09.2026	"	"
3.	रसायन विज्ञान	01	01.09.2026	"	"
4.	जन्तु विज्ञान	01	02.09.2026	"	"
5.	संस्कृत	02	02.09.2026	"	"
6.	एम0टी0टी0एम0	01	02.09.2026	"	"
7.	बी0एस-सी0 इन टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन	01	03.09.2026	"	"
8.	B.S.W./ M.S.W.	02	03.09.2026	"	"

अर्ह अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पूरित कर अपने समस्त मूल अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों एवं उसकी एक छायाप्रति के साथ उपर्युक्त निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर वाक इन इण्टरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं।

1
कुलसचिव

संख्या-कु0स0/2509/2Aसाप्र(अति0अ0-2026-27)/2026 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम प्रभारी।
4. विश्वविद्यालय जनसम्पर्क अधिकारी।
5. प्रभारी-कम्प्यूटर सेन्टर को उपर्युक्त विज्ञापन एवं अन्य विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्पादक महोदय-दैनिक समाचार-पत्र - दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला; आज वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव
✍

वाक इन इण्टरव्यू दिनांक
अतिथि अध्यापक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

पद का नाम :

विभाग/विषय मुख्य परिसर

1. आवेदक का पूरा नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. स्थायी पता.....

4. आवेदक का संवर्ग (UR/OBC/SC/ST).....

नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटो

विकलांग अभ्यर्थी स्पष्ट उल्लेख करें.....

5. बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....

रु.500/-

बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....

6. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विवरण :-

नाम -	शैक्षणिक योग्यता					संलग्नक सं०
	कक्षा	वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत	बोर्ड/संस्था का नाम	
पिता/पति का नाम -	हाईस्कूल अथवा समकक्ष					
मोबाइल नम्बर -	इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष					
पत्र व्यवहार का पता -	स्नातक अथवा समकक्ष					
	परास्नातक अथवा समकक्ष					
	पी-एचडी					
	नेट					
जन्मतिथि-	अन्य					
01-07-2026 को आयु- वर्ष माह दिन						

7. अनुभव :-

नोट :- 1. शैक्षिक योग्यता/अनुभव सम्बन्धित अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
2. अस्पष्ट/अपूर्ण आवेदन-पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

घोषणा :- मेरे द्वारा ऊपर दी गयी सभी सूचनाएँ पूर्ण, सत्य एवं प्रामाणिक हैं। भविष्य में यह पाये जाने पर कि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया/दमित किया गया है, तो मेरा आवेदन-पत्र निरस्त/नियुक्ति समाप्त कर दी जाय।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
अतिथि अध्यापक सत्र 2026-27 (वाक इन इण्टरव्यू) हेतु अर्हता एवं निर्देश

शैक्षणिक पद (गेस्ट फैकल्टी) हेतु अर्हता एवं वेतन :-

- शैक्षणिक पद (गेस्ट फैकल्टी) हेतु अर्हता उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उ0प्र0शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा यू0जी0सी0रेगुलेशन-2018 एवं तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किये गये नवीनतम संशोधनों के अधीन होंगी।

वेतन :-

- अतिथि अध्यापक (मुख्य परिसर)-रु.800/- प्रति व्याख्यान अधिकतम रु.30,000/- प्रतिमाह।

सामान्य निर्देश

1. विज्ञापित पदों के लिए रु0-500/- का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो “वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी” के नाम “वाराणसी” में देय होगा।
2. आवेदित पद/अभ्यर्थी का संवर्ग शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि सूचनायें प्रारूप में स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है। अस्पष्ट/अपूर्ण/भ्रामक सूचना की स्थिति में आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
3. पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा विज्ञापित पदों में से एक या अधिक पदों पर नियुक्ति न करने अथवा विज्ञापित पद को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
4. साक्षात्कार (वाक-इन-इण्टरव्यू) में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. निर्धारित अर्हता/मानक पूरा न करने की स्थिति में अभ्यर्थन विचारणीय नहीं होगा अथवा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आवेदनपत्र/प्रारूप में उल्लिखित योग्यता/अर्हता/अनुभव आदि के प्रमाण स्वरूप अपेक्षित प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित) संलग्न करना अनिवार्य है।
7. साक्षात्कार (वाक इन इण्टरव्यू) तिथि को निर्धारित समय से एक घण्टे पूर्व समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थिति अनिवार्य है।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों को वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतन/मानदेय देय होगा।
9. अतिथि अध्यापक का पद अस्थायी पद है। अतः यह स्वीकृति पूर्णतया अस्थायी होगी जिसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
10. अतिथि अध्यापकों की स्वीकृति मात्र एक सत्र के लिए है परन्तु सेवा/कार्य असंतोषजनक होने पर कभी भी अध्यापन कार्य से विरत किया जा सकता है।
11. अतिथि अध्यापन कार्य हेतु स्वीकृत अभ्यर्थी भविष्य में विश्वविद्यालय के नियमित पदों पर नियुक्ति/समायोजन का कोई दावा (क्लेम) करने का अधिकारी नहीं होगा।
12. सेवानिवृत्त अध्यापक मात्र अपना जीवनवृत्त संलग्न कर अपनी स्वीकृति प्रेषित कर सकते हैं। इनसे साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी।

कुलसचिव